ज्ञापांक–**4853**/Tech./2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–24.08.2023

सेवा में,

Preeti Prasad,
K H C Murramkala Ramgarh,
K H C Murram kala Ramgarh cantt.

विषयः– **मौजा–Murramkala, प्लाट नं0–270,272, खाता नं0–18, वार्ड नं0–2, थाना–रामगढ, जिला–रामगढ में प्रस्तावित B+G+2 अस्पताल भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित अस्पताल भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, रामगढ के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–345 दिनांक–22.08.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. प्रस्तावित अस्पताल भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश के लॉबी में एक डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज 63 MM डाया वाला डिलिवरी आउटलेट तथा एक–एक अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय एवं सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार पर एक यार्ड हाईड्रैण्ड एवं एक टुवेज का संस्थापन किया जाय।
3. अस्पताल के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
4. 900 Lpm क्षमता का एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
5. पूरे अस्पताल भवन में Smoke Detector एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
6. अस्पताल भवन के सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
7. दो बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर, 3-5 बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई 1.50 मीटर एवं 5 से अधिक बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर अवश्य रखी जायेगी।
8. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
9. 100 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले पेशेंट बेड रूम में कम से कम 2 दरवाजे दिये जाय।
10. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधित नहीं हो।
11. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
12. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
13. भवन में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
15. ओ0टी0 रूम/लैब में 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद CO_2 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
16. वैस्ट मैटेरियल के डिस्पोजल हेतु इन्सिनरेटर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

Scanned with OKEN Scanner

18. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
20. अस्पताल भवन में दो सीढ़ियों होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई, रैम्प NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
21. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
23. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
24. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.3 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.08.24 16:09:28 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner